प्रकरण संख्या 5-2022

विनोद कुमार बनाम सुरदेव सिंह

20-6-22 प्रार्थी विनोद कुमार पुत्र श्री हरदयाल राम जाति जाट उम्र 55 वर्ष निवासी दीनगढ़ तहसील संगरिया द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए पेश कर चक 2 डीएनजी प.न. 190/138 मु.न. 72 के किला नं. 5,6,15,16,25 में आने जाने हेतु रास्ता स्वीकृत कर राजस्व रिकार्ड में इसी प्रकार गै.मु.रास्ता दर्ज कर मौका पर रास्ता चालू करवाने बाबत निवेदन किया है।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 420 दिनांक 17.08.2022 द्वारा अपनी रिपोर्ट भिजवाई है कि प्रार्थी प.न. 190/136 से प.न. 190/137 से गुजरने वाले स्वीकृत शुद्वा रास्ते का प्रयोग करता है जो प्रार्थी के खेत मे से होकर गुजरना बतलाया है,

बहस प्रार्थी अधिवक्ता सुनी गई पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया प्रकरण अत्यधिक समय से अन्तर्गत धारा 251–ए आरटीए प्रार्थना पत्र रास्ता स्वीकृत किये जाने हेतु लम्बित चल रहा है जबकि प्रार्थी की भूमि को मजुरं शुद्वा रास्ते पर पड़ती है। प्रार्थी ने अपनी सुविधा के लिये रास्ता की मांग की गई है जो दिया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया

Scanned with OKEN Scanner